



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262746
CG-DL-E-28042025-262746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]
No. 319]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
(संसद के एक अधिनियम के तहत सांविधिक निकाय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

फा. सं. 21-सीएमए/2025.—इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 21 की उप धारा (1) के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुशासन निदेशालय की स्थापना की थी, जिसका नेतृत्व निदेशक (अनुशासन) करेंगे।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 21 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 16 की उप धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में सीएमए (डॉ.) हेमंत कुमार सिंधवानी, निदेशक को 27 मार्च, 2025 से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के निदेशक (अनुशासन) के रूप में नामित किया है।

डी. पी. नंदी, सचिव (कार्यवाहक)

[विज्ञापन-III/4/असा./51/2025-26]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA**(Statutory Body under an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2025

F. No. 21-CMA/2025.—The Council of the Institute of Cost Accountants of India, pursuant to sub-section (1) of Section 21 of the Cost Accountants Act, 1959, had established the Disciplinary Directorate of the Institute of Cost Accountants of India to be headed by the Director (Discipline).

The Council of the Institute of Cost Accountants of India, pursuant to clause (b) of sub-section (1) of Section 16 read with sub-section (1) of Section 21 of the Cost Accountants Act, 1959, has designated CMA (Dr.) Hemant Kumar Sindhvani, Director as the Director (Discipline) of the Institute of Cost Accountants of India w.e.f. 27th March, 2025.

D. P. NANDY, Secy. (Officiating)

[ADVT.-III/4/Exty./51/2025-26]